जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 40/2017 अनवानी कृष्ण पुत्र मामराज जाति भाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ बनाम 1– उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ 2– मामराज पुत्र टीकूराम 3–हरीराम पुत्र मामराज 4– जयपाल पुत्र मामराज जाति भाट निवासी 2 डीडबल्यूएसएम तह0 सूरतगढ़ 5–ममता 6–नन्दलाल 7–विनोदकुमार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.09.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री विजय रेवाड़ उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री विजय रेवाड़ का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित वाद सं0 31/2017 अनवानी कृष्ण बनाम मामराज वगैरा मय स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 19/2017 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था। चूंकि अब पीठासीन अधिकारी श्री बनवारीलाल, उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। यदि उनका यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपति है।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित वाद सं0 31/2017 अनवानी कृष्ण बनाम मामराज वगैरा मय स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 19/2017 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ श्री बनवारीलाल का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1769
20-9-17

यह आदेश आज दिनांक 18.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर